

**झारखंड उच्च न्यायालय रांची**  
**डब्ल्यू.पी.(टी) संख्या 2592/2023**

पारिख मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड .....याचिकाकर्ता  
बनाम

1. प्रधान आयकर आयुक्त, धनबाद, जिसका कार्यालय आयकर भवन, लुबी सर्कुलररोड, टाउन धनबाद, डाकघर में है। एवं थाना धनबाद- **826001** है।

2. आयकर उपायुक्त, सर्कल- 1, जिसका कार्यालय आयकर भवन, लुबी सर्कुलररोड, टाउन धनबाद, डाकघर में है। एवं थाना, धनबाद- **826001** है।

.....उत्तरदाता

-----  
**कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय**  
**माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक रोशन**

याचिकाकर्ता : श्रीमान. महेंद्र क्र. चौधरी, अधिवक्ता।  
सुश्री अमृता सिन्हा, अधिवक्ता।  
श्री पारिजात सौरव, अधिवक्ता।

उत्तरदाता :श्री आर.एन.सहाय, सीनियर. एस सी।  
श्री अनुराग विजय, अधिवक्ता।  
-----

**सीएवी दिनांक:-23.11.2023 उच्चारित किया गया दिनांक: 06/02/2024**

**दीपक रोशन, न्यायाधीश.** निम्नलिखित राहतों के लिए तत्काल आवेदन को प्राथमिकता दी गई है:-

आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 148 ए के खंड (बी) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने और अलग करने के लिए दिनांक 03.03.2023 (अनुलग्नक- 5), आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 148 ए के खंड (डी) के तहत आदेश 31 पारित किया गया। नोटिस दिनांक 31.03.2023 और 03.2023 अनुलग्नक-7) धारा 148 के तहत (अनुलग्नक-8), सभी निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी यानी आयकर उपायुक्त, सर्कल -1, धनबाद (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पूर्व के नाम पर जारी किए गए। भंग गैर-मौजूद साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स, जिसका मेसर्स पारिख मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण के बाद से अस्तित्व समाप्त हो गया है प्रभावी 01.4.2009, इसकी सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ एक चालू चिंता के रूप में, इस तथ्य के बावजूद कि मूल्यांकन अधिकारी को 20.04.2009 को दायर याचिका दिनांक 01.04.2009 द्वारा विधिवत सूचित किया गया था (अनुलग्नक- 3) और 16.03.2023 को दायर याचिका द्वारा (अनुलग्नक-6) धारा 148ए(बी) दिनांक 03.03.2023 (अनुलग्नक-5) के तहत पूर्वोक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में दायर किया गया है, इसलिए यह क्षेत्राधिकार के बिना शुरू से पूरी तरह से, गैर- स्थायी और शून्य है।

2. तत्काल रिट आवेदन में बताए गए मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे 31.03.2008 को विधिवत निगमित किया गया था। इसका मुख्य व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि का थोक और खुदरा व्यापार का है। निर्धारण वर्ष 2009-10 तक यह व्यवसाय मेसर्स पारिख सेल्स नामक साझेदारी फर्म द्वारा अपने पैन एएसीएफएम7651डी के तहत चलाया जाता था और इसने अपना अंतिम आयकर रिटर्न निर्धारण वर्ष 2009-10 30.09.2009 को दाखिल किया है।

01.04.2009 से, उपरोक्त साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स द्वारा किए गए उपरोक्त व्यवसाय को एक बोर्ड के अनुसरण में याचिकाकर्ता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसकी सभी संपत्तियों, देनदारियों के साथ अधिग्रहण कर लिया गया था। कंपनी का प्रस्ताव 01.04.2009 को पारित हुआ।

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए, याचिकाकर्ता कंपनी के मामले को पूरी जांच के लिए लिया गया था और आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन आदेश 07.12.2016. को पारित किया गया था।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि कथित एक्सिस बैंक खाता संख्या 1720102000001076 यदि यह याचिकाकर्ता कंपनी का था, जो कि पूर्वोक्त साझेदारी फर्म मेसर्स पैरिख सेल्स के नाम पर है, का याचिकाकर्ता कंपनी ने अपने दाखिल रिटर्न में विधिवत खुलासा किया था और क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि इस संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला गया था।

याचिकाकर्ता कंपनी ने अपने बैंक खाते के रूप में, जैसा कि अतीत में इसके अधिग्रहण/ अधिग्रहण के बाद भी किया जा रहा था ई-फाइलिंग द्वारा 31.10.2019 को तत्काल निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें उक्त साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स के नाम पर उक्त एक्सिस बैंक खाता संख्या 1720102000001076 का विधिवत खुलासा किया गया था।

03.03.2023 को, उपरोक्त एक्सिस बैंक लिमिटेड खाते में रु. 2,48,68,510/- नकद जमा के संबंध में पूर्व विघटित / गैर-मौजूद साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स पैरिख सेल्स एएसीएफएम 7651 डी के नाम पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अधिनियम की धारा 148 ए(बी) के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और यह कारण बताना होगा कि आकलन वर्ष 2019-20 के लिए इसका मामला आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 147 के तहत फिर से क्यों नहीं खोला जाना चाहिए।

16.03.2023 को, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के समक्ष एक जवाब दायर किया गया था, जिसमें उनसे अधिग्रहण के उपरोक्त तथ्यों को बताते हुए कार्यवाही को रोकने और याचिकाकर्ता कंपनी के रिटर्न में पूर्वोक्त एक्सिस बैंक खाते का खुलासा करने का अनुरोध किया गया था। 31.03.2023 को, बिना किसी और स्पष्टीकरण के या व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, प्रतिवादी नंबर 2 ने गैर- मौजूदा साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स के नाम पर अधिनियम की धारा 148ए (डी) के तहत अंतिम आदेश पारित किया। गुण- दोष के आधार पर यह निष्कर्ष देते हुए कि "मामले की जांच की गई और पाया गया कि मेसर्स पारिख सेल्स के उपरोक्त बैंक खाते में लेनदेन किया गया है उपरोक्त निर्धारण वर्ष के लिए कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया गया है" और निष्कर्ष निकाला कि यह जारी करने के लिए मेसर्स पारिख सेल्स के मामले में आकलन वर्ष 2019- 20 के लिए आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत नोटिस के लिए उपयुक्त मामला है।

इसके बाद, 31.03.2023 को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अधिनियम की धारा 148 के तहत एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें पूर्ववर्ती अस्तित्वहीन /विघटित / अधिग्रहीत साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स को अपना रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता थी। 25.04.2023 को, याचिकाकर्ता ने पूर्व विघटित साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स के पैरिख सेल्स एएसीएफएम7615डी के तहत आईटी पोर्टल पर लॉग इन किया। हालाँकि, एक त्रुटि संदेश दिखाई दिया कि "पैरिख सेल्स मौजूद नहीं है"।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष 16.03.2023 को एक जवाब दायर किया गया था, जिसमें उनसे पूर्व विघटित/ गैर-मौजूद साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स के नाम पर पैरिख सेल्स एएसीएफएम7651डी, उपरोक्त एक्सिस बैंक लिमिटेड खाते में नकद जमा के संबंध में यह कहते हुए कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 ने धारा 148 ए (बी) के तहत नोटिस जारी किया गया था। हालाँकि, बिना किसी और स्पष्टीकरण के या व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, प्रतिवादी नंबर 2 ने बिना किसी आवेदन के, गैर- मौजूदा साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स के नाम पर अधिनियम की धारा 148ए (डी) के तहत अंतिम आदेश पारित कर दिया। एक आकस्मिक रूढ़िवादी आदेश पारित किया गया जिसमें योग्यता के

यह अनुवाद सुधीर, पैरिख सेल्स अनुवादक के द्वारा किया गया।

आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और यह निष्कर्ष निकाला कि यह मेसर्स पारिख सेल्स के मामले में मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है।

विद्वान वकील ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 148 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 31.03.2023 को एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें तत्कालीन गैर-मौजूद/ विघटित/ अधिग्रहीत साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स को अपना रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता थी। 25.04.2023 को, याचिकाकर्ता ने आईटी पोर्टल पर पूर्व विघटित साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स के पैन आईडी एएसीएफएम7615डी के पैन के तहत लॉग ऑन किया। हालाँकि, एक त्रुटि संदेश दिखाई दिया कि "पैन मौजूद नहीं है"।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा 16.03.2023 को प्रतिवादी नंबर 2 के समक्ष एक जवाब दायर किया गया था, जिसमें यह कहते हुए कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया था कि प्रतिवादी संख्या द्वारा धारा 148 ए (बी) के तहत 2 पूर्व विघटित/ गैर-मौजूद साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स के नाम पर पैन: एएसीएफएम7651डी, उपरोक्त एक्सिस बैंक लिमिटेड खाते में नकद जमा के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। हालाँकि, बिना किसी और स्पष्टीकरण के या व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, प्रतिवादी नंबर 2 ने बिना किसी आवेदन के, गैर-मौजूदा साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स के नाम पर अधिनियम की धारा 148ए (डी) के तहत अंतिम आदेश पारित कर दिया। बिना दिमाग लगाए, योग्यता के आधार पर गैर-बोलने वाला एक आकस्मिक रूढ़िवादी आदेश आदेश दिया पारित किया गया। योग्यता के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया और निष्कर्ष निकाला कि यह मेसर्स पारिख सेल्स के मामले में मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है।

विद्वान वकील ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 148 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 31.03.2023 को एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें तत्कालीन गैर-मौजूद/ विघटित/ अधिग्रहीत साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स को अपना रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता थी। 25.04.2023 को, याचिकाकर्ता ने आईटी पोर्टल पर पूर्व विघटित साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स के पैन आईडी एएसीएफएम7615डी के तहत लॉग ऑन किया। हालाँकि, एक त्रुटि संदेश दिखाई दिया कि "पैन मौजूद नहीं है"।

विद्वान वकील ने अंततः कहा कि धारा 148ए(बी) दिनांक 03.03.2023 के तहत कारण बताओ नोटिस और धारा 148ए(डी) दिनांक 31.03.2023 के तहत परिणामी आदेश और निर्धारण वर्ष 2019 के लिए अधिनियम दिनांक 31.03.2023 की धारा 148 के तहत नोटिस-20 को रद्द किया जा सकता है क्योंकि ये विघटित/ अस्तित्वहीन साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स पर जारी किए गए थे, जिसे मेसर्स पारिख मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक चालू संस्था के रूप में ले लिया था। लिमिटेड 01.04.2009 के निर्णय के मद्देनजर यह प्रधान आयुक्त के मामले में पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना, गैर-स्थायित्व शून्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधान आयुक्त आयकर विभाग, नई दिल्ली बनाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (2020)18एससीसी331:[2019]416आईटीआर613 (एससी) और इस उच्च न्यायालय के अन्य निर्णयों यह में रिपोर्ट किया गया।

4. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का कहना है कि मूल्यांकन अधिकारी के पास इनसाइट पोर्टल की जानकारी है और निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आईटीआर दाखिल न करने से पता चलता है कि कर योग्य आय रुपये की पूरी जमा राशि के संबंधित मूल्यांकन से बच गई है। 2,48,68,510/- एक्सिस बैंक खाता 1720102000001076 संख्या में और उक्त जानकारी सीबीडीटी की जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार विधिवत चिह्नित की गई है। हालाँकि, दिनांक 16.03.2023 को दिए गए जवाब में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके एक्सिस बैंक के माध्यम से किए गए लेनदेन का खुलासा उसके खातों की किताबों में पहले से ही किया गया है, ताकि व्यवसाय आसानी से चल सके व संचालन पूर्व मेसर्स पारिख सेल्स के

नाम पर एक बैंक खाते में किया जा सके। अधिनियम की धारा 148ए(डी) के तहत एक तर्कसंगत आदेश पीसीआईटी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पारित किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 151(आई) के तहत प्रदान किया गया है। फर्म का पैन सरेंडर नहीं किया गया था और उक्त बैंक खाते का उपयोग अभी भी बड़े वित्तीय लेनदेन को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। यह उपरोक्त मुद्दा आयकर अधिनियम की धारा 143(3)/ 147 के तहत मूल्यांकन कार्यवाही का विषय है।

5. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और संबंधित हलफनामों और उसमें संलग्न दस्तावेजों में दिए गए कथनों को देखने के बाद, यह पता चलता है कि 01.04.2009 से साझेदारी फर्म-मैसर्स पारिख सेल्स का याचिकाकर्ता- मैसर्स पारिख मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड के साथ विलय हो गया है। फर्म की सभी संपत्तियों और देनदारियों को भी कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया और इसलिए, मैसर्स पारिख सेल्स एक गैर- मौजूद साझेदारी फर्म बन गई।

याचिकाकर्ता ने इस रूपांतरण और संविधान में बदलाव के बारे में 20.04.2009 को विभाग को भी सूचित किया था। पूर्ववर्ती मैसर्स पारिख सेल्स के पास मैसर्स पारिख सेल्स के नाम पर एक बैंक खाता (एक्सिस बैंक खाता संख्या 1720102000001076) था, जिसे भी कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था और याचिकाकर्ता द्वारा अपने रिटर्न में इसका विधिवत खुलासा किया गया था, मानो यह उसका अपना खाता था और निर्धारण वर्ष 2014-15 में एओ द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया था और अधिनियम की धारा 143(3) के तहत जांच मूल्यांकन आदेश में इस संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला गया था।

साझेदारी फर्म के नाम पर धारा 148ए(बी) दिनांक 03.03.2023 के तहत कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में, साझेदारी फर्मों और याचिकाकर्ता की ओर से 16.03.2023 को एक विस्तृत संयुक्त कारण बताओ जवाब भी दायर किया गया था, जिसमें पिछले सभी तथ्यों को बताया गया था कि सबूत के साथ इसे हासिल कर लिया गया है। कंपनी द्वारा और कहा गया कि उपरोक्त राशि रु. एक्सिस बैंक में जमा रु 2,48,68,510/- को कंपनी के रिटर्न में विधिवत माना गया और कोई पलायन नहीं हुआ और ऐसे में अधिनियम की धारा 147 के तहत मामले को दोबारा नहीं खोला जाना चाहिए और पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि मैसर्स पारिख सेल्स के मामले में 20 प्रतिवादी नंबर 2 ने, बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए या व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, धारा 148 ए (डी) के तहत अंतिम आदेश पारित किया, जिसमें गुण-दोष के आधार पर केवल एक पंक्ति का निष्कर्ष दिया गया कि "मामले की जांच की गई और पाया गया कि लेनदेन मैसर्स पारिख सेल्स के उपरोक्त बैंक खाते में भुगतान किया गया है और उपरोक्त निर्धारण वर्ष के लिए कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया गया है" और निष्कर्ष निकाला कि यह आकलन वर्ष 2019 के लिए अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि अधिनियम की धारा 148ए(डी) के तहत पारित किया गया आदेश बिना दिमाग लगाए, आकस्मिक रूढ़िबद्ध तरीके से पारित किया गया है और यह एक गैर- बोलने वाला आदेश है।

6. रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि जब याचिकाकर्ता ने आईटी पोर्टल पर पूर्व विघटित साझेदारी फर्म मेसर्स पारिख सेल्स के पैन आईडी एएसीएफएम7615डी के पैन के तहत लॉग ऑन किया था; एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित हुआ कि "पैन मौजूद नहीं है"।

समान तथ्यों और परिस्थितियों में, यानी **प्रधान आयकर आयुक्त, नयी दिल्ली बनाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (2020) 18 एससीसी 331: [2019] 416 आईटीआर 613 (एससी)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 36 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

*"36. वर्तमान मामले में, इस तथ्य के बावजूद कि मूल्यांकन अधिकारी को समामेलन कंपनी के बारे में सूचित किया गया था कि समामेलन की अनुमोदित योजना के परिणामस्वरूप अस्तित्व समाप्त हो गया है, न्यायिक नोटिस केवल उसके नाम पर जारी किया गया था। जिस आधार पर क्षेत्राधिकार का आह्वान किया गया था वह मूल रूप से कानूनी सिद्धांत के विपरीत था कि समामेलन की अनुमोदित योजना पर समामेलक इकाई का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता द्वारा कार्यवाही में भाग लेना कानून के विरुद्ध रोक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यह स्थिति अब दो विद्वान न्यायाधीशों की एक समन्वित पीठ के फैसले के मद्देनजर है, जिसने स्पाइस एनफोटेनमेंट में राजस्व की अपील को खारिज कर दिया था।*

7. हाल ही में, **संदीप चोपड़ा बनाम पीसीआईटी धनबाद और अन्य W.P.(T) No. 2972 of 2022 Dt. निर्णय 09.02.2023 (जेएच एचसी)** के मामले में,

*इस न्यायालय ने पैरा 11 में निम्नानुसार माना है: -*

*"11. यहां ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, मृत निर्धारिती (भीम सेन चोपड़ा) के नाम पर उसके पैन पर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के लिए कानून के धारा 148 के तहत जारी किया गया नोटिस अवैध और बुरा माना जाता है न कि उसके कानूनी प्रतिनिधि के नाम पर।*

*नतीजतन, चूंकि नोटिस को ही अमान्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए उक्त नोटिस के अनुसार पारित आदेश भी अमान्य है।*

*परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी दिनांक 18.3.2020 का नोटिस और नोटिस के अनुसार पारित सभी परिणामी आदेश, किसी भी तरह से अमान्य नहीं हैं और तदनुसार रद्द कर दिया गया है।'*

8. वास्तव में, अब कानून यह नहीं रह गया है कि किसी मृत व्यक्ति को कोई नोटिस यह अनुवाद सुधीर, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।

जारी नहीं किया जा सकता है। (2020 में रिपोर्ट किए गए **दुर्लभभाई कनुभाई राजपुरा बनाम आय-कर अधिकारी 1(3)(4) देखें 114 टैक्समैन.कॉम 481(गुजरात)** ।

9. अलग होने से पहले यह बताना लाभदायक है कि हालांकि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने इस रूपांतरण और संविधान में बदलाव के बारे में 20.04.2009 को विभाग को सूचित भी किया था। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि वैधानिक समर्थक दृष्टिकोण के अभाव में, करदाता की मृत्यु के तथ्य को विभाग को सूचित करने के लिए कानूनी प्रतिनिधियों पर कर्तव्य नहीं डाला जा सकता है। इसलिए, यह सवाल है कि क्या पैन रिकॉर्ड अपडेट किया गया था या नहीं या क्या विभाग को कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया था, या यह अप्रासंगिक है। **[सविता कपिला देखें बनाम सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल 4(1) [2020] 118 टैक्समैन.कॉम 46 (दिल्ली)]**

10. उपरोक्त चर्चा और उक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्धारिती को विवादित नोटिस नहीं दिए जा सकते थे और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

तदनुसार, धारा 148ए के खंड (बी) के तहत जारी किया गया कारण बताओ नोटिस, दिनांक **03.03.2023 (अनुलग्नक-5)**, आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 148ए के खंड (डी) के तहत पारित किया आदे गया (अनुलग्नक-7) , **31.03.2023** को और मूल्यांकन वर्ष **2019-20** के लिए धारा 148 दिनांक **31.03.2023 (अनुलग्नक -8)** के तहत नोटिस, सभी को रद्द कर दिया गया है और अलग रखा गया है।

11. परिणामस्वरूप, तत्काल रिट आवेदन की अनुमति दी जाती है और लंबित अन्तर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो को अन्तर्वर्ती बंद कर दिया जाता है।

(रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायाधीश.)

(दीपक रोशन, न्यायाधीश.)

फहीम

/-

एएफआ

र